न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :—श्री हरफूल सिंह यादव,आर.ए.एस.

1) राजस्व अपील संख्या :—30 / 2024
जी.सी.एम.एस नंबर :— 2024 / 30

अपीलाण्ट :—	बनाम	रेस्पोडेन्ट :—
ओतमाराम पुत्र छगनाराम जाति दर्जी निवासी हाल बडगॉव तहसील रानीवाडा, जिला जालोर राजस्थान	राजस्थान सरकार	जरिये तहसीलदार,रानीवाडा, जिला— जालोर

2) राजस्व अपील संख्या :—24 / 2024
जी.सी.एम.एस नंबर :— 2024 / 24

अपीलाण्ट :—	बनाम	रेस्पोडेन्ट :—
मफताराम पुत्र गेमाजी, जाति पुरोहित, निवासी— हाल बडगाँव, तहसील—रानीवाडा, जिला—जालोर राज	राजस्थान सरकार	जरिये तहसीलदार,रानीवाडा, जिला— जालोर

3) राजस्व अपील संख्या :—9 / 2024
जी.सी.एम.एस नंबर :— 2024 / 9

अपीलाण्ट :—	बनाम	रेस्पोडेन्ट :—
मुरारदान पुत्र प्रतापदान, जाति चारण निवासी हाल बडगांव, तहसील—रानीवाड़ा, जिला— जालोर राज.	राजस्थान सरकार	जरिये तहसीलदार,रानीवाडा, जिला— जालोर

4) राजस्व अपील संख्या :—369 / 2024
जी.सी.एम.एस नंबर :— 2024 / 369

अपीलाण्ट :—	बनाम	रेस्पोडेन्ट :—
धुनीदेवी पत्नि स्व. जयराम जी जाति — पुरोहित निवासी हाल बडगांव तहसील रानीवाडा, जिला जालोर	राजस्थान सरकार	जरिये तहसीलदार,रानीवाडा, जिला— जालोर

5) राजस्व अपील संख्या :—329 / 2024
जी.सी.एम.एस नंबर :— 2024 / 329

अपीलाण्ट :—	बनाम	रेस्पोडेन्ट :—
वलमाराम पुत्र सोमाराम जाति पुरोहित निवासी जैतपुरा हाल वडगांव, तहसील रानीवाडा जिला जालोर	राजस्थान सरकार	जरिये तहसीलदार,रानीवाडा, जिला— जालोर

6) राजस्व अपील संख्या :—32 / 2024
जी.सी.एम.एस नंबर :— 2024 / 32

अपीलाण्ट :—	बनाम	रेस्पोडेन्ट :—

24/10/2024
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

बाबुलाल पुत्र ताराराम जाति पुरोहित, निवासी जैतपुरा हाल बडगांव, तहसील रानीवाडा जिला जालोर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार,रानीवाडा, जिला– जालोर

7) राजस्व अपील संख्या :–31 / 2024
जी.सी.एम.एस नंबर :– 2024 / 31

अपीलाण्ट :– बनाम रेस्पोडेन्ट :–

1. भंवरसिंह पुत्र दलपतसिह जाति राजपुत निवासी हडमतिया हाल बडगांव तहसील रानीवाडा, जिला जालोर
2. रतनाराम पुत्र चेनाराम जाति प्रजापत निवासी–बडगांव तहसील रानीवाडा, जिला जालोर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार,रानीवाडा, जिला– जालोर

8) राजस्व अपील संख्या :–28 / 2024
जी.सी.एम.एस नंबर :– 2024 / 28

अपीलाण्ट :– बनाम रेस्पोडेन्ट :–

अमीराम पुत्र उकाराम जाति जोशी, निवासी हाल बडगांव तहसील रानीवाडा, जिला जालोर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार,रानीवाडा, जिला– जालोर

9) राजस्व अपील संख्या :–118 / 2024
जी.सी.एम.एस नंबर :– 2024 / 118

अपीलाण्ट :– बनाम रेस्पोडेन्ट :–

छोगाराम पुत्र चेलाराम जाति सुथार, निवासी– बडगांव तहसील रानीवाडा जिला जालोर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार,रानीवाडा, जिला– जालोर

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

10) राजस्व अपील संख्या :–368 / 2024
जी.सी.एम.एस नंबर :– 2024 / 368

अपीलाण्ट :– बनाम रेस्पोडेन्ट :–

अशोकसिह पुत्र नारायणसिह जाति पुरोहित, निवासी हाल बडगांव, तहसील रानीवाडा जिला जालोर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार,रानीवाडा, जिला– जालोर

11) राजस्व अपील संख्या :–10 / 2024
जी.सी.एम.एस नंबर :– 2024 / 10

अपीलाण्ट :– बनाम रेस्पोडेन्ट :–

24.12.2024
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

हेमाराम पुत्र रगाजी जाति माली निवासी हाल बडगांव तहसील रानीवाडा जिला जालोर	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार,रानीवाडा, जिला– जालोर	

12) राजस्व अपील संख्या :–17 / 2024
जी.सी.एम.एस नंबर :– 2024 / 17

अपीलाण्ट :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
परखनाथ पुत्र जोगनाथ, जाति– स्वामी, निवासी बडगांव तहसील रानीवाडा जिला जालोर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार,रानीवाडा, जिला– जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश न्यायालय जिला कलेक्टर, जालोर निर्णय दिनांक 06–01–2020

उपस्थिति :–
1. श्री गजेन्द्र सिंह राजपुरोहित,विद्वान अधिवक्ता, अपीलाण्ट।
2. सरकारी पैरोकार तहसीलदार, रानीवाडा
3. श्री शैतानसिह सिसोदिया, विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

:: निर्णय ::

दिनांकः 24.12.2024

1. उक्त सभी अपीले अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर जालोर द्वारा एक समान प्रकरणों में पारित निर्णय दिनांक 06–01–2020 के विरूद्ध द्वितीय अपील के रूप में प्रस्तुत हुई है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर जालोर में उक्त अपील तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा धारा 91 एल आर एक्ट के अंतर्गत दिनांक 11.09.2019 को निर्णीत प्रकरणों के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है। उक्त सभी अपीलों में विवादित आराजी, विवाद की विषयवस्तु एवं कानूनी बिन्दु एक समान होने से इस निर्णय के द्वारा निर्णीत की जा रही है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जावे।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि हस्तगत प्रकरण ग्राम बडगाँव तहसील रानीवाड़ा जिला जालोर के खसरा नंबर 791 किस्म गै.मु. ओरण बाबत विभिन्न व्यक्तियों के विरूद्ध वर्ष 2012 में धारा 91 आर एल आर एक्ट अंतर्गत प्रकरण दर्ज किये गये थे। ये प्रकरण जिला सर्तकता प्रकरण सख्या 17 / 2012 द्वारा गुमानमल पुत्र जेठाराम माली बडगांव द्वारा शिकायत करने पर दर्ज हुये व दिनांक 24.02.2012 को आयोजित सर्तकता समिति की बैठक में उक्त प्रकरण में अतिक्रमियों के विरूद्ध धारा 91 के तहत कार्यवाही की पालना रिपोर्ट करने के निर्देश प्राप्त होने पर उक्त अतिक्रमियों के विरूद्ध नायब तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा अंतर्गत धारा 91 आर.एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही की गई।

3. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मीमो के अनुसार प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम बडगाँव तहसील रानीवाडा (जालोर)जागीरी का गांव था, जागीरी जब्ती के समय जागीर कमीश्नर जयपुर द्वारा सभी जागीरदारो से अपनी कृषि भूमि व निजी आबादी

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

भूमि का विवरण मांगा था, जिसके तहत बडगाँव के तत्कालिन जागीरदार ने अपनी निजी सम्पति की सूची, जागीर कमीश्नर जयपुर (राजस्थान) के न्यायालय में पेश की थी, जिसमे आबादी निजी सम्पति का उल्लेख किया। निजी सम्पति सूचि "बी" में मकान आबादी भूमि आदि क्रम संख्या चार पर **"चक्की वाला मकान व उसके आगे पिछे पडी खुल्ली पडत जमीन"** शामिल है। तत्कालीन जागीरदार श्री मंगलसिंह पुत्र मालमसिंहजी द्वारा प्रस्तुत सूचि "बी" दर्ज आबादी भूमि की जांच उपखण्ड अधिकारी (जागीर) जालोर से करवाई गई, उन्होने मौके पर पहुंच कर मौका जाँच रिपोर्ट बनाकर जागीर कमीश्नर, जयपुर को दिनांक 08.11.1962 को भेजी थी, जिसमें चक्की वाला मकान व उसके आगे पिछे वाली आबादी भूमि पर तत्कालीन जागीरदार का कब्जा पाया गया। आयुक्त जागीर द्वारा दिनांक 19.1.1963 को निर्णय पारित कर इस भूमि को जागीरदार की निजी सम्पति होना घोषित किया। पूर्व जागीरदार ने उक्त आबादी भूमि जिसका उल्लेख सूचि बी मे अंकित किया है उसका नक्शा बनाकर कुल 22 भूखण्ड बनाये, जिसमे 11×40 दुकान + 10 फीट रास्ता + 20 फीट पक्का गोदाम कुल 11×70 फीट सभी भूखण्डो का बेचान अलग–अलग व्यक्तियो को जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा बेचान कर कब्जा कराया। उक्त बेचाननामें उप पंजियक, रानीवाडा के कार्यालय में दिनांक 12–08–83 व अन्य तारीखो मे पंजिबद्ध हुये। उसके बाद खरीददारो ने पंचायत की अनुमति से पक्का निर्माण करवाया, विधुत, पानी के कलेक्शन लिये, ग्राम पंचायत से पट्टे भी बनाने तथा आगे से आगे बेचान भी हुये। ये सारी कार्यवाही इस भूमि को आबादी भूमि मानते हुऐ की जो भूमिधारी व ग्राम पंचायत की जानकारी में है। सन् 1963 से सन् 2012 तक कब्जे धारको के विरूद्ध अतिक्रमण के मामले भी नही बनाये गये, इस कालावधि मे जितने भी सरपंच व तहसीलदार, पटवारी, आर. आई नियुक्त हुये उन सभी ने इस भूमि को आबादी मानते हुरे ही अतिक्रमण के मामले दर्ज नही किये।

4. प्रकरण धारा 91 आर एल आर एक्ट के तहत सर्वप्रथम कार्यवाही प्रारम्भ होने उपरान्त का न्यायिक विवरण निम्नानुसार है–

I. यह है कि मौजा बडगांव तहसील रानीवाडा के खसरा नंबर 791 (प्रत्येक प्रकरण का रकबा 71.49 वर्गमीटर) किस्म गैर मुमकिन ओरण पर संवत् 2068 में उक्त व्यक्तियों के कब्जे को अतिक्रमण मानकर पटवारी हल्का बडगांव द्वारा दिनांक20.03.2012 को प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर नायब तहसीलदार रानीवाडा अंतर्गत धारा 91 आर.एल.आर एक्ट के प्रकरण दर्ज किये जाकर निर्णय दिनांक 29.03.2012 को पारित किये गये। नायब तहसीलदार रानीवाड़ा के निर्णय दिनांक 29.03.2012 के द्वारा उक्त रेस्पोडेण्ट्स को धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मौके से बेदखल करने का आदेश व बतौर जुर्माना 50/–रूपये से दंडित किया गया।

II. न्यायालय नायब तहसीलदार रानीवाड़ा के निर्णय दिनांक 29.3.2012 के विरुद्ध प्रथम अपील जिला कलेक्टर जालोर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर जालोर के द्वारा प्रथम अपील का निर्णय दिनांक 18.07.2012 को पारित किया गया। उक्त रेस्पोडेण्ट्स की प्रथम अपील अस्वीकार कर खारीज की गई।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

III. तत्पश्चात् रेस्पोडेण्ट्स द्वारा न्यायालय जिला कलेक्टर, जालोर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.07.2012 के विरूद्ध द्वितीय अपील राजस्व अपील अधिकारी पाली में प्रस्तुत की गई। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी,पाली कैम्प जालोर द्वारा रेस्पोडेण्ट्स की द्वितीय अपील का निर्णय दिनांक 10.12.2014 को अपील बलहीन एवं सारहीन होने से खारिज की गई तथा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.07.2012 को बहाल रखा गया।

IV. निर्णय दिनांक 10.12.2014 के विरुद्ध माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के न्यायालय में निगरानी/एल.आर./1457/2015/जालोर में दर्ज होने पर दिनांक 31.08.2018 को निर्णय पारित हुआ कि निगरानी आंशिक रूप में स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर के निर्णय 10.12.2014, जिला कलक्टर, जालोर के निर्णय दिनांक 18.07.2012 एवं नायब तहसीलदार रानीवाडा के निर्णय दिनांक 29.03.2012 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार रानीवाडा को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया गया कि बहस कथनों एवं विवेचन के आलोक में जांच/परीक्षण कर प्रकरण में उभय पक्षों को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर देकर विवेचन के आलोक में पुनःनियमानुसार निर्णय पारित करे। माननीय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय के अंतिम तीसरे एवं दुसरेपैरे में सार रूप में विवेचन कर अंकित किया है कि –

> "इस प्रकरण में न केवल पंचायत पट्टा जारी है अपितु जागीर कमिश्नर का आदेश है तथा पंजिकृत दस्तावेज से अन्तरण है। प्रार्थीयान के अनुसार ऐसी स्थिति में धारा 91 का मामला बनता ही नही है। ऐसी स्थिति में इन सब तथ्यों का विवेचन कर निर्णय अपेक्षित था कि विवेचनाधीन भूमि खसरा नंबर 791 एवं जागीर कमिश्मर के आदेश में कथित भूमि एक ही है अथवा अलग अलग। यदि भूमि एक ही है तो उस स्थिति में जागीर कमिश्नर के आदेश के विद्यमान रहते तथा पंचायत पट्टा एवं पंजिकृत अंतरण को दृष्टिगत रखने पर प्रस्तुत रूलिंग आर. एल.डब्ल्यू. 2006(1) राज. पेज 158 हुक्मसिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के आलोक में अपीलार्थी की स्थिति धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अंतर्गत अतिक्रमी की होना स्थापित नही होता है और ऐसी स्थिति में धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की कार्यवाही की अपेक्षा नही रहती है। यदि भूमि अलग अलग है, तब स्थिति अलग रहेगी और धारा 91 के अंतर्गत कार्यवाही अपेक्षित होगी।
>
> प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने इस तथ्य का कि विवेचनाधीन आराजी एवं जागीर कमिश्नर के आदेश में अंकित आराजीएक ही है अथवा अगल अलग है, इसकी कोई जांच कर/परीक्षण कर स्वतः स्पष्ट विवेचन कर निर्णय निष्कर्ष देकर निस्तारण नही कर सरसरी तौर पर आराजी को ओरण अंकित होना मानकर निर्णय दिया है। जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता।"

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

V. माननीय राजस्व मण्डल अजमेर राजस्थान के आदेश दिनांक 31.08.2018 की पालना में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रानीवाडा जिला जालोर के द्वारा प्रकरण संख्या 8/2019 पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय की अनुपालना में विवादग्रस्त आराजी की पहचान, रकबा, खसरा नंबर वर्तमान कब्जा आदि के विवरण हेतु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रानीवाड़ा ने एक टीम भू.अ.निरीक्षक के नेतृत्व में दो पटवारी व एक ग्राम विकास अधिकारी की गठित की गई।

उक्त टीम द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि मौके पर चक्की/मकान मौजूद नही पाये गये, एवं पूछताछ करने पर लोगो द्वारा पहले चक्की व मकान होने का स्थान बताया गया है। खसरा नंबर 791 रकबा 0.71 हैक्टर किस्म गै.मू. ओरण भूमि में दुकाने व आवासीय मकानो के अलावा शेष खाली भूमि जिस पर चार दीवारी बनाई हुई है।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रानीवाडा द्वारा दिनांक 11.09.2019 को निर्णय पारित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रानीवाडा ने अपने रेस्पोडेण्ट्स को धारा 91 आर एल आर एक्ट के तहत अतिक्रमी मानते हुए निर्णय पारित किये गये है, उक्त निर्णय में विवेचन किया गया कि

"खसरा नंबर 791 के पुराने खसरा नंबर 622 बनते है जिसका हवाला जागीर कमीश्नर जयपुर के निर्णय में कही पर भी नही है। गैर मुमकिन ओरण की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि है। प्रार्थी चाहे तो सक्षम न्यायालय में उपरोक्त भूमि को गैर मुमकिन ओरण आबादी के रूप में दर्ज करवाने हेतू विधि अनुसार कार्यवाही करने हेतू स्वतंत्र है।"

VI- रेस्पोडेण्ट्स द्वारा निर्णय दिनांक 11.09.2019 की प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, जालोरमें प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, जालोर द्वारा दिनांक 06.01.2020 को निर्णीत कर अपील खारिज की गई। अपने निर्णय दिनांक 06.01.2020 में विवेचन किया गया कि

"अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि को जागीरदार की निजी सम्पति एवं भूमि आबादी की होने के तथ्यो के आधार पर प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। जागीर कमिश्नर के निर्णय अनुसार वादग्रस्त आराजी आबादी भूमि होती तो अवश्य ही राजस्व अभिलेख में दुरस्ती किया जाता जबकि वादग्रस्त आराजी प्रथम सेटलमेन्ट से ही राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन ओरण बदस्तूर दर्ज चली आ रही है जो जमाबन्दी में दर्ज पुराने खसरा नंबर 622 एवं वर्तमान खसरा नंबर 791 से साबित हो रहा है। विचाराधीन अपील पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नही है। जिसके आधार पर वादग्रस्त आराजी को गैर मुमकिन ओरण स्वीकार किये जाने से इन्कार किया जा सके। हालाकि जागीर कमिश्नर के निर्णय दिनांक 19.01.1963 में सूची के बी भाग में क्रम संख्या 4 पर अंकित भूमि चक्की का मकान जिसके सामने व पिछाडी खुली जमीन है। यह अवश्य वर्णित किया हुआ है

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

लेकिन खसरा नंबर 791 किस्म गैर मुमकिन ओरण की भूमि ही चक्की का मकान वाला भू भाग रहा हो और उसे आबादी की भूमि में शामिल रखा गया हो ऐसा कोई राजस्व अभिलेख पत्रावली पर उपलब्ध नही होने से जागीर कमिश्नर के निर्णय दिनांक 19.01.1963 अनुसार अपीलांट वादग्रस्त भूमि गैर मुमकिन ओरण को गैर मुमकिन आबादी में घोषित कर रेकर्ड में दुरस्त करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में विधि अनुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है।"

5. हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर जालोर के निर्णय दिनांक 6.1.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है। न्यायालय हाजा द्वारा अपील दर्ज कर राज्य सरकार के प्रतिनिधि तहसीलदार रानीवाडा को तलब किया गया । एवं उनके द्वारा लिखित जबाव पेश किया गया ।

6. अपीलाण्टके अधिवक्ता ने द्वौरान बहस अभिकथन किया कि–

जालोर जिले में बडगाँव जागीरी का गांव था. जागीरी जब्त के समय जागीर कमीश्नर जयपुर द्वारा सभी जागीरदारो ने अपनी कृषि भूमि व निजी आबादी भूमि का विवरण मांगा था, जिसके तहत बडगाँव के तत्त्कालिन जागीरदार ने अपनी निजी सम्पति की सूची, जागीर कमीश्नर को जयपुर राजस्थान के न्यायालय में पेश की गई, जिसमे सूचि में आबादी निजी सम्पति का उल्लेख किया। सूचि बी में मकान आबादी भूमि आदि क्रम संख्या चार पर चक्की वाला मकान व उसके आगे पिछे पडी खुल्ली पडत जमीन शामिल है। तत्कालीन जागीरदार श्री मंगलसिंह पुत्र मालमसिंहजी द्वारा प्रस्तुत सूचि "बी" दर्ज आबादी भूमि की जांच उपखण्ड अधिकारी(जागीर) जालोर से करवाई गई, उन्होने मौके पर पहुंच कर मौका जाँच रिपोर्ट बनाकर उतगीर कमीश्नर, जयपुर को भेजी गई, जिसमें चक्की वाला मकान व उसके आगे पिछे वाली आबादी भूमि पर तत्कालीन जागीरदार का कब्जा पाया गया।

पूर्व जागीरदार ने उक्त आबादी भूमि जिसका उल्लेख "सूचि बी" में अंकित किया है उसका नक्शा बनाकर कुल 22 भूखण्ड बनाये, जिसमे 11×40 दुकान 10 फीट रास्ता 20 पीट पक्का गोदाम कुल 11×70 फीट सभी भूखण्डो का बेचान अलग–अलग व्यक्तियो को (जिसमे अपीलान्ट भी शामिल है) रजिस्टर्ड बेचाननामा के जरिये बेचान कर कब्जा कराया। जिसके बेचाननामा में उप पंजियक, रानीवाडा के कार्यालय में दिनांक 12–08–83 व अन्य तारीखो मे पंजिबद्ध हुये। उसके बाद खरीददारो ने पंचायत की अनुमति से पक्का निर्माण करवाया, विद्युत, पानी के कलेक्शन लिये, ग्राम पंचायत से पट्टे भी बनाने तथा आगे से आगे बेचान भी हुये ये सारी कार्यवाही आबादी भूमि मानते हुऐ की जो भूमिधारी व ग्राम पंचायत की जानकारी में है। सन् 1963 से सन् 2012 तक कब्जे धारको के विरूद्ध अतिक्रमण के मामले भी नही बनाये गये, इस कालावधि मे जितने भी सरपंच व तहसीलदार, पटवारी, आर. आई नियुक्त हुये उन सभी ने इस भूमि को आबादी मानते हुऐ ही अतिक्रमण के मामले दर्ज नही किये।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो का गहनता से अध्ययन करना तो दूर की बात है सरसरी तौर से भी नही देख गया, केवल मात्र पटवारी की रिपोर्ट को "रामबाण दवाई" मानकर जुर्माना व बेदखली के आदेश व उसके विरूद्ध प्रथम अपील को विधि विरूद्ध खारीज की है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

जागीर कमीश्नर का निर्णय, उप जिला कलेक्टर, जालोर जागीर की जाँच रिपोर्ट, तहसीलदार स्वयं की आदेशिका दिनांक 26–03–2019, ग्राम पंचायत व राजस्व कर्मचारियो की संयुक्त टीम की मौका जाँच रिपोर्ट 14–02–2019 व 25–03–2019, रजिस्टर्ड बेचाननामा, विद्युत व पानी बिल, राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 31–8–2018 जिसके जरिये बेदखली व जुर्माना का आदेश निरस्त किया, उपरोक्त सभी दस्तावेजात साबित करने के लिये पर्याप्त है कि वर्तमान खसरा नंबर 791 की भूमि 1955 से आज तक मौके पर ओरण न होकर आवादी भूमि है। उपरोक्त दस्तावेजो का ध्यान पूर्वक अवलोकन कर निष्कर्ष निकाला होता तो अपीलाण्ट के विरूद्ध धारा 91 का प्रकरण ही नही बनता है।

अधिनस्थ न्यायालय मे हमारे अधिवक्ता द्वारा धारा 140 आर.एल.आर. के प्रावधान की तरफ ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि उपरोक्त सारे लोक दस्तावेज जो अधिकतर प्रदर्श करवाये गये है गै.मु. ओरण को न मानने के लिये पर्याप्त है फिर भी प्रथम अपील खारिज कर बेदखली व जुर्माना का आदेश पारित करने में कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है।

उपरोक्त दस्तावेजो के आधार पर यह साबित है कि अपीलान्ट ने राजकीय भूमि पर विधि पूर्ण प्राधिकार के बिना इस भूमि को अपने कब्जे मे नही लिया है। धारा 91 की परिभाषा के आधार पर अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट का प्रकरण नही बनता है। इस आधार पर यह अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अपील में अंकित सभी दस्तावेजो के रेकर्ड में मौजूद होने के कारण अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी 2006(1) पेज 272 वर्तमान अपील में पूर्णरूप से लागू होते है। उपरोक्त दस्तावेजो के साथ इस दृष्टान्त का अध्ययन ही नही किया। इसे इस प्रकरण पर लागू न होने का कोई कारण ही बताया । इस आधार पर आदेश 20 सी.पी.सी. के प्रावधानो के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

पुराने खसरा नबंर 622 का रकबा मात्र 6 बीघा था रि–सैटलमेन्ट के दौरान इसके वर्तमान खसरा नंबर 791,790,789,782,783 कुल रकबा 1.50 हेक्टर बनाये है जो मिलान क्षेत्रफल व गत व हाल जमाबन्दी से साबित है। गत से हाल में 0.54 हेक्टर ओरण में यही आबादी भूमि को गैर कानूनी तरिके से बिना आदेश के ओरण का रकबा बढ़ दिया 0.54 ही खसरा नंबर 791 का ही हिस्सा है इस आधार पर ही खसरा नम्बर 791 में आबादी का रकबा गैर कानूनी रूप से मर्ज होना साबित है।

अतः अपील स्वीकार कर तहसीलदार, रानीवाडा द्वारा बेदखली व जुर्माना का आदेश दिनांक 11–09–2019 व जिला कलेक्टर का आदेश दिनांक 06–01–2020 को निरस्त कर तहसीलदार, रानीवाडा को निर्देश प्रदान करावे कि वे रिकॉर्ड दुरस्ती की कार्यवाही अपने स्तर पर सक्षम न्यायालय में पेश करे तब तक धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट के प्रकरण अपीलाण्ट के विरूद्ध भविष्य में दर्ज नही करे।

7. रेस्पोडेण्ट सरकारी पैरोकार तहसीलदार, रानीवाडा एवं वकील रेस्पोडेण्ट सं. 2 ने बहस में अभिकथन किया कि– उक्त प्रकरण में विवादित भूमि किस्म गै.मु. औरण है। जिसको चारागाह समतुल्य भूमि राजस्व विभाग द्वारा माना हुआ है। एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टी.एन.गोदावर्मन बनाम भारत संघ व अन्य में रिट याचिका (सिविल) संख्या 202/1995 में राजस्थान राज्य में वन के चिन्हीकरण के

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

संबंध में दायर की गई Interlocutory Apolication(I.A.)में निर्णय दिनांक 03.07.2018 में गै.मु. ओरण को वन भूमि माना है। उक्त भूमि गै.मु. ओरण होने से नियमन एवं आंवटन योग्य नही है। जिससे उक्त प्रकरण निरस्त योग्य है। साथ ही अपीलांट को नायब तहसीलदार कोर्ट से बेदखली अधिनियम 1976 के तहत नोटिस जारी हुआ क्योकि अपीलांट द्वारा गैर मुमकिन ओरण किस्म की भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। जागीर कमिश्नर राजस्थान जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.01.1963 में वादग्रस्त भूमि बायत खसरा नंबर दर्ज नहीं है। केवल मात्र चक्की का मकान जिसके सामने व पिछाडी खुली जमीन लिखा हुआ है। आगे पिछे जमीन कितनी है यह कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। विवादित खसरा नंबर 791 पुराने खसरा नंबर 622 से सृजित हुआ है। जिसकी पूर्व से ही किस्म गैर मुमकिन ओरण राजस्व अभिलेख में दर्ज रही है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि होने से आवंटन अथवा नियमन भी नहीं किया जा सकता है। रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज के आधार पर भी वादग्रस्त भूमि को गैर मुमकिन आबादी भूमि नहीं माना जा सकता है। तथा किस्म गैर मुमकिन ओरण की भूमि पर पट्टा जारी करने की शक्तिया ग्राम पंचायत को प्राप्त नही है। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड अनुसार भूमि पूर्व से ही गैर मुमकिन ओरण होने से दिनांक 11.09.2019 को बेदखली व जुर्माना के आदेश दिये गये है। अतः आधारहीन अपील को खारिज फरमावे।

8. पत्रावली पर उपलब्ध पर समस्त तथ्यों पर गहनता से मनन किया गया। प्रकरण पर समुचित बगौर करने उपरान्त निम्न विन्दु परिलक्षित होते है–

I- हस्तगत प्रकरण में गौर करने योग्य सबसे महत्वपूर्ण विन्दु यह है कि प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.08.2018 में इस प्रकरण को विस्तार से विचारण करने उपरान्त दिये गये निर्देशों कि पालना अक्षरशः अधीनस्थ न्यायालय यथा न्यायालय तहसीलदार, रानीवाड़ा और न्यायालय जिला कलेक्टर, जालोर के निर्णय मूल भावना के अनुसार कार्यवाही की गई अथवा नही।

माननीय राजस्व ने अपने निर्णय में निर्देश प्रदान किये गये थे कि तहसीलदार रानीवाड़ा प्रकरण में इस विन्दू पर विस्तृत जांच कर यह निर्धारित करे कि यह खसरा नंवर 791 गै.मु. ओरण जिस पर धारा 91 आर.एल.एक्ट. के तहत कार्यवाही की गई है, जागीर कमीश्नर के निर्णय दिनांक 19.01.1963 के अनुसार चक्की के पास वाली भूमि ही है अथवा अन्य कोई अलग भूमि।

इस संदर्भ में अपीलाण्टगण द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो से यह भी परिलक्षित है कि जागीर कमीश्नर के निर्णय दिनांक 19.01.1963 से पूर्व उक्त उप जिलाधीश जागीर जालोर द्वारा दिनांक 8.11.1962 को प्रस्तुत मौका फर्दरिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसमें इस भूमि के हद हदूद की स्पष्ट रूप से बताई हुई है, जिसे वर्तमान में मौके पर भलीभाती पहचान की जा सकती है। उक्त मौका फर्द के बिन्दू संख्या (क)(4) के अनुसार यह भूमि निम्नानुसार है।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

24.12.2019

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

"चक्की का मकान जिसके सामने व पिछाडी खुली जगीन है उसके चारो तरफ पुरानी बाड की हुई है, जिसके पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में दरोगा जेता, भाला व समस्था बगैरों के मकान व सूरजकुंड का रास्ता, उत्तर में दरवाजा व दक्षिण में देवस्थान का बगीचा है।"

माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 03.10.2018 की अनुपालना में तहसीलदार, रानीवाडा ने एक टीम आई.एल.आर की अध्यक्षता में ग्राम विकास अधिकारी व दो पटवारी गठित कर मौका निरीक्षण कर प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार इस भूमि को स्थानीय लोगो द्वारा पुछताछ में इस भूमि पर पहले चक्की व मकान होने का स्थान बताया, परन्तु तहसीलदार द्वारा अपने निर्णय मे यह स्पष्टतः निर्णीत नही किया कि यह भूमि जागीरदार वाली ही भूमि है या अन्य कोई अलग भूमि है एवं न ही जिला कलेक्टर जालोर ने प्रथम अपील में पारित निर्णय दिनांक 06.01.2020 में इस विन्दू पर अपना निष्कर्ष/विवेचन अंकित किया गया है।

यद्यपि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर जालोर की पत्रावली में पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से भी यह प्रथम दृष्टया प्रकट होते है कि जागीर कमीश्नर, जयपुर के निर्णय दिनांक 19.01.1963 में जिस चक्की का मकान व उसके आगे पीछे खुली पडी भूमि को जागीरदार की निजी सम्पति माना है। उसका उल्लेख प्रकरण में प्रस्तुत बेचान दस्तावेज एवं ग्राम पंचायत के पट्टे हद हदूद से इस प्रकरण की भूमि के जागीर वाली हीभूमि होना प्रतीत होता है परन्तु तहसीलदार रानीवाडा द्वारा अपने निर्णय पुनः पारित करने से पूर्व स्पष्टतः निर्धारित करना चाहिए था कि यह भूमि धारा 91 आरएलआर एक्ट 1956 की कार्यवाही वाली भिन्न भूमि है अथवा जागीर आयुक्त के निर्णय वाली भूमि है। एवं यदि यह भूमि जागीर वाली भूमि है तो इस प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने धारा 91 एलआरएक्ट की कार्यवाही को उचित नही माना है।

II- इस प्रकरण में जागीर आयुक्त के निर्णय दिनांक 19.1.1963 अनुसार इस भूमि को गै.मु.आबादी मानकर ग्राम पंचायत द्वारा अपीलाण्ट को आबादी भूमि के पट्टे भी जारी किये थे, एवं इन पट्टो को सक्षम कार्यवाही द्वारा ही निरस्त करवाये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रानीवाडा द्वारा धारा 91 की कार्यवाही करना विधि की दृष्टि से भी उचित प्रतीत नही होता है।

III- जागीर कमीश्नर के निर्णीय दिनांक 19.11.1963 की अनुपालना में यदि यह भूमि खसरा न. 791 में गै.मु. ओरण जागीरदार की चक्की के मकान वाली भूमि ही है तो राजस्व अभिलेख में इस भूमि की आबादी में किस्म परिवर्तन की कार्यवाही बाबत तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रकरण तैयार कर सक्षम स्तर पर प्रशासनिक रूप से उचित निर्णय हेतु प्रेषित किया जाना भी अपेक्षित है, ना कि मात्र यह निर्देश देना

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

24.12.2021

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

कि प्रार्थी चाहे तो सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करे,क्योकि अनावश्यक Litigation बढाने में जनहित(public interest)नही है। लोक हितकारी प्रशासन का ध्येय जनहित सरंक्षण करना भी है। लोगो को अनावश्यक मुकदमें बाजी में धकेलकर न्याय प्रशासन को बोझिल करना व्यवहारिक रूप से उचित नही है। साथ ही इस बिन्दु पर प्रशासनिक निर्णय भी समयबद्ध ही लेना अपेक्षित है। प्रकरण में उक्त बिन्दु पर प्रशासनिक सक्षम स्तर पर निर्णय होने के उपरांत ही यदि अवश्यक है तो धारा 91 आरएलआरएक्ट की कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रानीवाडा के निर्णय दिनांक 11.09.2019एवं न्यायालय जिला कलेक्टर, जालोर के निर्णय दिनांक 06.01.2020 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार, रानीवाडा को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि उपरोक्त विवेचन के अनुसार जब तक सक्षम प्रशानिक स्तर पर कार्यवाही उपरान्त यह अभिनिर्धारित नही हो जाता है कि विवादग्रस्त भूमि की किस्म गै.मू. ओरण ही रहेगी **अथवा** जागीर कमिश्नर,जयपुर के निर्णय दिनांक 19.01.1963 की अनुपालना में सक्षम स्तर पर प्रशासनिक कार्यवाही उपरान्त भूमि की किस्म गै.मु. आबादी परिवर्तन की जाती है, तब तक तहसीलदार रानीवाडा द्वारा अंतर्गत धारा 91 आर.एल.आर.एक्ट 1956 की कार्यवाही को स्थगित रखी जाए। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ भिजवाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 24.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)